15/2018, S.K.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर अहकाम की तामील
22.05.18	अपीलान्ट अनुपस्थित। यह प्रथम अपील अपीलान्ट ने लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध नही कराये जाने पर प्रस्तुत की। अति0 जिला कलक्टर धौलपुर ने अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना का सम्बन्ध अन्य कार्यालयो से होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन धारा 6(3) के तहत उपखण्डाधिकारी धौलपुर/बाडी/बसेडी/राजाखेडा/सैंपऊ/सरमथुरा, कोषाधिकारी धौलपुर एंव तहसीलदार धौलपुर/बाडी/बसेडी/राजाखेडा/सैंपऊ/सरमथुरा को स्थानान्तरित किया किया गया। कोषाधिकारी धौलपुर एंव अति0 जिला कलक्टर धौलपुर से टिप्पणी प्राप्त हो चुकी है। जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश क्रमांक प.1/राज0सम्पर्क/आरटीआई /2018/3377 दिनांक 15.05.2018 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1), 5(2) व 19(1) के अन्तर्गत राजस्व विभाग से संबधित सूचना प्राप्त करने हेतु लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी धौलपुर/बाडी/बसेडी/राजाखेडा/सैंपऊ/सरमथुरा के लिए प्रथम अपील अधिकारी अति0 जिला कलक्टर धौलपुर एंव तहसीलदार धौलपुर/बाडी/बसेडी/राजाखेडा/सैंपऊ/सरमथुरा के लिए प्रथम अपील अधिकारी सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को नियुक्त किया है। उपखण्डाधिकारी धौलपुर/बाडी/बसेडी/राजाखेडा/सैंपऊ/सरमथुरा के विरूद्ध अति0 जिला कलक्टर धौलपुर एंव तहसीलदार धौलपुर/बाडी/बसेडी/राजाखेडा/सैंपऊ/सरमथुरा के विरूद्ध प्रथम अपील सुनने हेतु सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी सक्षम अपील अधिकारी है। अतः लोक सूचना अधिकारी, अति.जिला कलक्टर धौलपुर एंव कोषाधिकारी धौलपुर के अलावा अन्य लोक सूचना अधिकारियों से सम्बन्धित सूचना हेतु अपील अपीलान्ट सक्षम अपील अधिकारी को स्थानान्तरित की जाती है। पत्रावली की छायाप्रति सम्बन्धित सक्षम अपील अधिकारी को भिजवाई जावे। अपीलान्ट को सूचित किया जावे कि वह अपनी अपील के निस्तारण हेतु सम्बन्धित सक्षम अपील अधिकारी से सम्पर्क करें। लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलक्टर धौलपुर एंव कोषाधिकारी धौलपुर से टिप्पणी प्राप्त हो चुकी है। जो पत्रावली में संलग्न है। टिप्पणी का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर धौलपुर की टिप्पणी से हम सहमत है। कोषाधिकारी धौलपुर ने अपनी टिप्पणी दिनांक 02.05.2018 से अपीलान्ट को वांछित	

जिला कलक्टर
धौलपुर

	सूचना उपलब्ध कराया जाना अवगत कराया है। सूचना की प्रति पेश की है। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर धौलपुर एंव कोषाधिकारी धौलपुर से प्राप्त टिप्पणी की प्रति अपीलान्ट को भिजवाई जावे। पत्रावली पर इस न्यायालय से अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे। जिला कलक्टर धौलपुर	